प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका संख्या- 4410/1991</u>

याचिकाकर्तागण : सुरेन्द्र कुमार शर्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि :-
श्रीमती चंदा शर्मा एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण : भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य।

उद्घोषित किये जाने हेतु दिनांक 23 नवम्बर,2009 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

21/11/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या- 4410/1991

याचिकाकर्तागण : सुरेन्द्र कुमार शर्मा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि :-
श्रीमती चंदा शर्मा एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण : भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के.अग्घोत्री।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अनिल के. पांडे, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के लिए : श्री बी.पी.गुप्ता, अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 23 नवम्बर,2009 को पारित)

1. इस याचिका में आदेश दिनांक 14 जनवरी, 1985 को चुनौती दी गई है जिसके तहत उत्तरवादी निगम ने याचिकाकर्ता का नाम नामावली से दिनांक 25 जुलाई, 1984 प्रभावपूर्ण रूप से विलोपित कर दिया हैं, तथा दिनांक आदेश 15 अक्टूबर, 1990 (अनुलग्नक पी/9) जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा सेवा में पुनर्स्थापित करने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त कर दिया हैं।

02. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1985 में भारतीय खाद्य निगम में सहायक ग्रेड-III (डिपो) के पद पर मंदिर हसौद में कार्यरत था। याचिकाकर्ता ने 25 जुलाई, 1984 को कार्यालय छोड़ा और उसके बाद 18 अगस्त, 1984 को छुट्टी के लिए आवेदन देकर कार्यभार ग्रहण किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता 15 अक्टूबर, 1984 तक अपने पद पर कार्यरत रहा और उसके बाद,

वह टाइफाइड से गंभीर रूप से बीमार हो गया और 6 फरवरी, 1985 तक छुट्टी पर रहा। इस आधार पर कि प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहा, 21 नवम्बर 1984 को प्रमुख समाचार पत्रों में एक सूचना प्रकाशित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के लिए सूचित किया गया। उक्त सूचना के प्रकाशन के बावजूद, याचिकाकर्ता ने 15 दिनों की अवधि के भीतरकार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद, दिनांक 14 जनवरी, 1985 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम उत्तरवादी निगम की नामावली से विलोपित कर दिया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं उत्तरवादी निगम की सेवाएं का परित्याग कर दिया हैं और अतः, उसका नाम स्तंभ संख्या 4 में दर्शाई गई तारीख अर्थात दिनांक 25 जुलाई, 1984 से निगम की सूची से नामावली से विलोपित कर दिया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 12 फरवरी, 1985 को वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी/2) प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 15 अक्टूबर, 1990 (अनुलग्नक पी/9),को खारिज कर दिया गया, जिसे भी यहां चुनौती दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल के. पांडे ने तर्क प्रस्तुत किया कि सूचना भोपाल के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, रायपुर में नहीं और इसलिए, याचिकाकर्ता को उत्तरवादियों द्वारा प्रकाशित सूचना के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, उसका पदस्थापना स्थल त्रुटिवश जिला कार्यालय, कापा दिखाया गया था, जबकि वास्तव में उनकी पदस्थापना भंडारगृह, मंदिर हसौद में थी। याचिकाकर्ता दिनांक 6 फरवरी, 1985 तक चिकित्सा अवकाश पर था और अतः याचिकाकर्ता को दिनांक 25 जुलाई, 1984 से अनुपस्थित नहीं माना जा सकता था। अतः, दिनांक 14 जनवरी, 1985 का आक्षेपित आदेश भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 (संक्षेप में 'विनियम, 1971') के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि कोई आरोप पत्र तैयार नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था। अतः, भारतीय खाद्य निगम के विनियम, 1971 के सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश को अभिखंडित किया जाना चाहिए।

04. इसके विपरीत, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी.गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता दिनांक 25 जुलाई, 1984 से दिनांक 17 अगस्त, 1984 तक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता के खाते में अर्जित अवकाश या अर्ध वेतन अवकाश के विरुद्ध कोई अवकाश उपलब्ध नहीं था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 18 अगस्त, 1984 (अनुलग्नक आर/3) को कार्यभार प्रतिवेदन के साथ दिनांक 22 अगस्त, 1984 को सहायक प्रबंधक, एफसीआई, मंदिर हसौद के समक्ष पहली बार अवकाश के लिए आवेदन (अनुलग्नक आर/2) प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन

अवकाश स्वीकृति हेतु वरिष्ठ अधिकारी को भेजा गया था। जिला प्रबंधक, कापा द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता को कोई अवकाश बाकी नहीं था। श्री गुप्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 18 अगस्त, 1984, 21 अगस्त, 1984 और 2 अगस्त, 1984 को उपस्थिति पंजी में गुप्त रूप से अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहा और दिनांक 3, 7, 8, 9, 11, 12 और 15 अक्टूबर, 1984 को उपस्थिति पंजी में बिना उपस्थित हुए ही अपने हस्ताक्षर करने में सफल रहा। याचिकाकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी के बारे में पता चलने पर, सहायक प्रबंधक ने अपने आद्याक्षरों से उसे काट दिया। वास्तव में, याचिकाकर्ता केवल दिनांक 13 अक्टूबर, 1984 को ही कर्तव्य पर उपस्थित हुआ और उसके बाद दिनांक 15 अक्टूबर, 1984 से फिर अनुपस्थित रहा। दिनांक 21 नवंबर, 1984 को व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों अर्थात् "नवभारत" और "एम.पी. क्रॉनिकल" के भोपाल और रायपुर संस्करण में एक सूचना (अनुलग्नक आर/7) प्रकाशित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता और अन्य समकक्ष कर्मचारियों को 15 दिनों की अवधि के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए कहा गया था, और चूक होने पर, दिनांक 25 दिसंबर, (अनुलग्नक आर/9) के परिपत्र के अनुसार दिनांक 14 जनवरी, 1985 (अनुलग्नक आर/10) का आक्षेपित निष्कासन आदेश पारित किया गया था। श्री गुप्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि चूँकि यह सेवा का परित्याग करने का मामला था, इसलिए किसी अन्य सूचना या आरोप पत्र तैयार करने की आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ता को सेवा का परित्याग करने के कारण हटाया जाना उचित ही था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क और दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

06. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता की दिनांक 14 जून, 1994 को मृत्यु हो गई और वे अपनी पत्नी, दो बेटियों और एक बेटे को विधिक उत्तराधिकारी के रूप में पीछे छोड़ गए। दिनांक 20 सितंबर, 1994 के आदेश द्वारा उन्हें विधिक उत्तराधिकारी के रूप में पक्षकार बनाया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता के एक विधिक प्रतिनिधि, यानी उनके बेटे शैलेंद्र कुमार शर्मा की भी दिनांक 10 सितंबर, 2000 को मृत्यु हो गई और वे अपनी पत्नी को पीछे छोड़ गए। याचिकाकर्ता के पुत्र शैलेन्द्र कुमार की पत्नी तथा अन्य तीन पुत्रियों, जिन्हें पहले अभिलेख पर नहीं लाया जा सका था, को दिनांक 8 अगस्त, 2005 के आदेश द्वारा अभिलेख पर लाने का आदेश दिया गया।

07. दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 25 जुलाई, 1984 से दिनांक 14 जनवरी, 1985 को निष्कासन आदेश पारित होने तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अपने कर्तव्यों से

अनुपस्थित रहा। याचिकाकर्ता ने भोपाल और रायपुर में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना का जवाब नहीं दिया। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसकी पदस्थापना का स्थान गलत ढंग से कापा उल्लेख किया गया हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि उसकी पदस्थापना मंदिर हसौद में थी जो कापा स्थित निगम के ज़िला कार्यालय के अंतर्गत आता है।

08. उत्तरवादी निगम के नामावली से नाम विलोपित करना सेवा से हटाने के बराबर है, क्योंकि स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ता उत्तरवादी निगम का नियमित और स्थायी कर्मचारी था।

09. विनियम, 1971, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। विनियम, 1971 की धारा 5 अनुशासन और अपील विनियमों से संबंधित है। विनियम, 1971 के विनियम 54 में दंड लगाने का प्रावधान है। बड़े दंड के अंतर्गत अनुपस्थिति के कारण सेवा से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। विनियम, 1971 के विनियम 54 में निम्नलिखित लिखा है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

“54. दंड.

किसी अन्य विनियमन में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, और किसी भी अन्य विनियमन या विधि के तहत किसी कर्मचारी उत्तरदायी बताया जा सकता हैं होने वाली कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित शस्ति (अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए और इसके बाद दिए गए अनुसार) निगम के किसी भी कर्मचारी पर आरोपित किये जा सकते हैं।

<u>दीर्घ शस्ति :</u>

(i) निंदा;

(ii) उसकी पदोन्नति रोकना;

(iii) उसकी लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण निगम को हुई किसी भी आर्थिक हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) वेतन वृद्धि रोकना।

<u>वृह्द शस्ति :</u>

(v) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनमान में निम्नतर स्तर पर पदावनति, साथ ही इस बारे में अतिरिक्त निर्देश कि क्या निगम का कर्मचारी ऐसी पदावनति की अवधि के दौरान

वेतन वृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर पदावनति का प्रभाव भविष्य में स्थगित करने का होगा या नहीं;

(vi) निम्नतर समय-मान या पद पर पदावनति जो सामान्यतया कर्मचारी को उस समय-मान वेतन या पद पर पदोन्नति में बाधा होगी जिससे उसे पदावनत किया गया था, उस पद पर बहाली की शर्तों के संबंध में अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना जिससे निगम का कर्मचारी पदावनत किया गया था और उस पद पर ऐसी बहाली पर उसकी वरिष्ठता और वेतन;

(vii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(viii) सेवा से हटाया जाना, जो निगम के अधीन भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी;

(ix) सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः निगम के अधीन स्थायी नियोजन के लिए अयोग्यता होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण: इस विनियमन के अर्थ में निम्नलिखित दंड नहीं माना जाएगा;

(क) किसी भी श्रेणी के पद पर नई नियुक्ति के लिए निर्धारित किसी परीक्षा या परीक्षण या चिकित्सा परीक्षण को उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर किसी कर्मचारी की सेवामुक्ति;

(ख) अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधान के अनुसार किसी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(ग) परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में परिवीक्षा पर नियुक्त या पदोन्नत कर्मचारी की सेवा समाप्ति या निम्न श्रेणी या पद पर प्रत्यावर्तन;

(घ) विनियम 19 के तहत किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी या रिक्ति के अभाव में छंटनी के उपाय के रूप में;

(ई) किसी अनुबंध या समझौते के तहत नियोजित कर्मचारी की सेवा की समाप्ति, ऐसे अनुबंध या समझौते की शर्तों के अनुसार या किसी विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारी के मामले में, ऐसी अवधि के अंत में;

(च) निम्न पद से उच्च पद पर पदोन्नत कर्मचारी को रिक्ति के अभाव में निम्न पद पर प्रत्यावर्तित करना;

(छ) किसी कर्मचारी को उसके नियमित या तदर्थ आधार पर पदोन्नति के मामले पर विचार करने के पश्चात् उस पद पर पदोन्नति न देना जिसके लिए वह विचार किए जाने का पात्र है;

(ज) ऐसे कर्मचारी की सेवाओं का प्रतिस्थापन जिसकी सेवाएं उसके मूल संगठन से उधार ली गई थीं।

10. विनियम, 1971 के विनियम 58 में वृह्द शस्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि विनियम 54 के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट किसी भी शस्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश, इस विनियमन और विनियम 59 में प्रदान की गई विधि से या लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) द्वारा प्रदान की गई विधि से, जहां तक संभव हो, जांच के बाद ही दिया जाएगा। इसमें जाँच के लिए चरण भी दिए गए हैं। सबसे पहले, अनुशासनात्मक प्राधिकारी कदाचार या दुर्व्यवहार के आरोप के सार को स्पष्ट और विशिष्ट आरोपों में शामिल करेगा या करवाएगा, उसके बाद, दोषी कर्मचारी को कारण बताओ सूचना जारी किया जाएगा और विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद, वृह्द शस्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. नियम, 1971 का विनियम 32ए "कदाचार" शब्द से संबंधित है। विनियम 32ए के उप-खंड (7) में प्रावधान है कि "बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना या उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण के पर्याप्त आधार के बिना लगातार चार दिनों से अधिक समय तक स्वीकृत अवकाश से अधिक समय तक अनुपस्थित रहना"।

12. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि वह गंभीर बीमारी के कारण अनुपस्थित रहा और उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ही निगम की नामावली से उसका नाम विलोपित कर उसे हटाने का आदेश पारित कर दिया गया। यह सच है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों ने सेवा से हटाने का वृह्द शस्ति अधिरोपित करने से पहले विनियम, 1971 के विनियम 58 में निर्धारित संविधिक प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया है। कर्तव्य से अनुपस्थिति अधिकतम, विनियम, 1971 के विनियम 37.ए(7) के तहत परिभाषित कदाचार के दायरे में आ सकती है। यदि कदाचार का आरोप है, तो उसे विनियम, 1971 के विनियम 58 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सिद्ध किया जाना चाहिए।

13. दिनांक 25 दिसम्बर, 1981 के कार्यकारी परिपत्र (अनुलग्नक आर/9) में यह प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी लम्बे समय तक अपने कर्तव्य/कार्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो उसका नाम निगम की नामावली से

उसका नाम विलोपित किया जा सकता है। हालांकि, उक्त परिपत्र के खंड 5 में यह प्रावधान है कि जहां भी किसी मामले की परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक पाया जाए, कर्मचारी विनियमों के दायरे में नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश का पालन करने से जानबूझकर इनकार करने पर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, यदि कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो उसे सेवा से हटाने/बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित वृहद् शास्ति उचित प्रतीत होता हैं।

14. कर्तव्य/कार्यालय से अनुपस्थित रहना विनियमन, 1971 के विनियमन 32ए (7) में परिभाषित 'कदाचार' के दायरे में आता है, प्रतिवादी-प्राधिकारियों को विनियमन, 1971 के विनियमन 58 में निर्धारित संविधिक प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए था। आरोप तय होने के बाद, उन्हें कारण बताओ सूचना के साथ, कार्यालय पंजी में दर्ज याचिकाकर्ता के डाक पते पर भेजा जाना चाहिए था। इस मामले में कुछ नहीं किया गया। वैसे भी, 25 दिसंबर, 1981 का कार्यकारी परिपत्र (अनुलग्नक R/9) संविधिक नियमों और विनियमों पर अधिभावी नहीं हो सकता या उलट नहीं सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सुखादेव सिंह और अन्य बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी और अन्य मामले में एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार निरीक्षण किया :

> **"33.** नियम और विनियमन के बीच कोई सारवान अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अधीनस्थ विधायन हैं। किसी विधि के अंतर्गत बनाया गया विनियमन प्रत्येक व्यक्ति या किसी समूह या वर्ग के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से लागू करता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जीवन बीमा निगम और औद्योगिक वित्त निगम,सभी को विधिक के तहत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्यों, आचरण और सेवा की शर्तों के प्रयोजन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ विनियम बनाने की आवश्यकता है। ये नियम संविधिक प्राधिकारियों पर दायित्व थोपते हैं। संविधिक प्राधिकारी सेवा की शर्तों से विचलित नहीं हो सकते। नियमों और विनियमों के उल्लंघन में की गई कार्रवाइयों को अमान्य घोषित करने के लिए न्यायालयों द्वारा किसी भी विचलन को विधिक मंजूरी या घोषणा द्वारा लागू किया जाएगा। विधि के अंतर्गत नियमों और विनियमों का अस्तित्व, आचरण के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ नियमित

आचरण सुनिश्चित करने के लिए है। विचाराधीन मामलों में संविधिक विनियमन कर्मचारियों को संविधिक दर्जा प्रदान करते हैं तथा नियोक्ता और कर्मचारी पर प्रतिबंध लगाते हैं, तथा शर्तों में परिवर्तन करने का कोई विकल्प नहीं देते हैं। स्वामी और सेवक के संविदात्मक संबंध में एक साधारण व्यक्ति संविदात्मक शर्तों का उल्लंघन लागू करता है। स्वामी और सेवक के ऐसे संविदात्मक संबंध में उपचार हर्जाना है क्योंकि व्यक्तिगत सेवा लागू नहीं की जा सकती। संविधिक निकायों के मामलों में, उनके अवैयक्तिक चरित्र के कारण, कोई भी व्यक्तिगत तत्व नहीं होता है। संविधिक निकायों के मामले में यह कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार या सेवा के तत्व और विधि के समर्थन के लिए नियमों और विनियमों का पालन आवश्यक है। संविधिक निकायों द्वारा आवश्यकताओं का पालन न करने पर, नियमों और विनियमों के उल्लंघन में बर्खास्तगी को न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित करके लागू किया जाता है। इस न्यायालय ने बार-बार यह टिप्पणी की है कि जब भी किसी व्यक्ति के अधिकार संविधिक शक्तियों के तहत लिए गए निर्णय से प्रभावित होते हैं, तो न्यायालय प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने और विधि द्वारा लगाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन के कर्तव्य के अस्तित्व को मान लेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. संविधान पीठ द्वारा निर्धारित उपरोक्त अनुपात को भारत संघ एवं अन्य बनाम शारदिन्दुई मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित करते हुए निम्नानुसार संदर्भित किया गया है :

"16 .....यदि ऐसा कोई प्रावधान होता कि उनके पिछले कदाचार के लिए उनका कार्यकाल छोटा किया जा सकता है, तो यह समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी। लेकिन ऐसे प्रावधान के अभाव में क्या किसी संविधिक नियुक्ति को छोटा किया जा सकता है, खासकर जब पदधारी ने अधिनियम के तहत कोई अयोग्यता अर्जित नहीं की हो। यह शर्मनाक लग सकता है,

लेकिन फिर भी हम संविधिक प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकते। यदि अयोग्यता और निष्कासन के प्रावधान नहीं होते, तो शायद कुछ किया जा सकता था, लेकिन इस विषय पर स्पष्ट प्रावधानों के मद्देनजर किसी पदधारी की संविधिक नियुक्ति को छोटा करना न्याय का उपहास होगा।

20. .....इस संबंध में, हमारा ध्यान सुखदेव सिंह बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी में इस न्यायालय के एक निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया, जिसमें संविधान पीठ ने माना था कि निगम द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किए बिना विधि द्वारा बनाए गए निगम द्वारा किसी पदधारी की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। कारण यह था कि समाप्ति नियमों में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करती है। संक्षेप में, जब नियुक्ति की जाती है, तो सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं। ऐसी नियुक्ति की समाप्ति केवल विधि में दिए गए तरीके से ही की जा सकती है और किसी अन्य तरीके से नहीं। एक बार जब नियम बना दिए गए हैं और उनमें विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो उस स्थिति में यदि किसी पदधारी की सेवाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है तो ऐसा केवल दिए गए तरीके से ही किया जा सकता है और किसी अन्य तरीके से नहीं। केरल राज्य बनाम मथाई वर्गीस में भी इसी तरह का विचार लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एस.एन. गोयल3 मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी निरीक्षण किया है :

"17. जहाँ स्वामी और सेवक का संबंध पूर्णतः संविदात्मक है, वहाँ यह सर्वमान्य है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 14 में निहित निषेध को ध्यान में रखते हुए, वैयक्तिक सेवा का अनुबंध विशिष्ट रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। यदि रोजगार अनुबंध की समाप्ति (बर्खास्तगी द्वारा या अन्यथा) अवैध या भंग पाई जाती है, तब भी कर्मचारी का

उपाय केवल क्षतिपूर्ति की माँग करना है, विशिष्ट निष्पादन नहीं। न्यायालय न तो ऐसी समाप्ति को अमान्य घोषित करेंगे, न ही यह घोषित करेंगे कि रोजगार अनुबंध विद्यमान है, और न ही बहाली का परिणामी अनुतोष प्रदान करेंगे। इस अधिनियम के तीन सर्वमान्य अपवाद हैं:

(i) जहां किसी सिविल सेवक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (या अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए किसी विधिक) के प्रावधानों के उल्लंघन में सेवा से हटा दिया जाता है;

(ii) जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत संरक्षण प्राप्त किसी कर्मकार को गलत तरीके से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है; और

(iii) जहां किसी सांविधिक निकाय के कर्मचारी को किसी संविधि या सांविधिक नियमों के किसी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतः, संविधिक नियमों द्वारा शासित सार्वजनिक रोजगार और विशुद्ध रूप से अनुबंध द्वारा शासित निजी रोजगार के बीच एक स्पष्ट अंतर है। परिणामी राहत के साथ राहत क्षति या बहाली की प्रकृति तय करने का परीक्षण यह है कि क्या रोजगार विशुद्ध रूप से अनुबंध द्वारा या किसी विधि या संविधिक नियमों द्वारा शासित है। यहाँ तक कि जहाँ नियोक्ता एक संविधिक निकाय है, जहाँ संबंध विशुद्ध रूप से अनुबंध द्वारा शासित है और उसमें संविधिक शासन का कोई तत्व नहीं है, व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध विशेष रूप से प्रवर्तनीय योग्य नहीं होगा। इसके विपरीत, जहाँ नियोक्ता एक गैर-संविधिक निकाय है, लेकिन रोजगार किसी विधि या संविधिक नियमों द्वारा शासित है, यह घोषणा कि समाप्ति अमान्य है और कर्मचारी को बहाल किया जाना चाहिए, न्यायालयों द्वारा दी जा सकती है। (एस.बी. दत्त (डॉ.) बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, यू.पी. वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम चंद्र किरण त्यागल, सिरसी नगर पालिका बनाम सेसिलिया कॉम फ्रांसिस टेलिस, वैश्य डिग्री कॉलेज बनाम लक्ष्मी नारायण, जे. तिवारी बनाम ज्वाला

देवी विद्या मंदिर और दीपक कुमार विश्वास बनाम संचालक लोक शिक्षण निदेशक)"

18. इस मामले के तथ्यों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुस्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए, जिसमें, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता को विनियम, 1971 के विनियम 58 में उल्लिखित उचित जांच किए बिना ही सेवा से हटा दिया गया था, यह प्रश्न उठता है कि क्या याचिकाकर्ता परिणामी लाभों के साथ पूर्ण पिछला वेतन पाने का हकदार है, गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा एवं अन्य4 मामले में निम्नलिखित निरीक्षण किया था :

"150. अनुतोष का एक और पहलू पूरे बकाया वेतन की माँग पर आधारित है। निश्चित रूप से, बहाली पर सामान्य नियम, बकाया वेतन का ही है क्योंकि बर्खास्तगी का आदेश अमान्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान मामले में, चूँकि निष्कासन आदेश विनियम, 1971 के संविधिक प्रावधानों के विपरीत नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता बकाया वेतन और परिणामी अनुतोष पाने का हकदार है। हालाँकि, चूँकि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई है, इसलिए याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता, इसलिए याचिकाकर्ता के विधिक प्रतिनिधि, याचिकाकर्ता को सेवा से हटाए जाने की तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने तक के बकाया वेतन और अन्य परिणामीक लाभों के हकदार हैं।

20. तदनुसार, उत्तरवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निष्कासन के आदेश पारित होने की तिथि से लेकर याचिकाकर्ता के अधिवर्धिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने की तिथि तक का बकाया वेतन सभी परिणामी लाभों सहित, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान करें।

21. याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा हैं।

सही/-
श्री सतीश के.अग्घोत्री।
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Uday Shankar Dewangan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur